

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(7) ग्रावि/नरेगा/सा.पत्रा/2011 जयपुर, दिनांक

13 JAN 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त।

**विषय :-** ग्रेवल सड़क कार्यों हेतु ग्रेवल एवं बैलास्ट कलेक्शन को सामग्री मद में लेने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जोधपुर द्वारा लाईन विभागों के लिए जारी पत्र दिनांक 13.10.2010 की तर्ज पर ग्रेवल एवं बैलास्ट कलेक्शन को सामग्री मद का हिस्सा माना जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में खान विभाग से ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत की भूमि पर श्रमिक लगाकर खनन कार्य करा सकने बाबत खनन प्रक्रिया/निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। खान (ग्रुप-2) विभाग ने अवगत कराया है कि एम.एम.सी आर. 1986 के नियम 48(1) के तहत कोई भी व्यक्ति एम.एल./पी.एल./क्वारी लाईसेंस/एस.टी.पी. के खनन कार्य नहीं कर सकता है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत सहित सभी क्रियान्वयन संस्थाओं के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्रेवल सड़क कार्यों में ग्रेवल एवं बैलास्ट कलेक्शन को खुले बाजार से नियमानुसार क्रय करने पर सामग्री मद का हिस्सा माना जा सकता है।

भवदीय,

13/12/11  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पं.रा. विभाग, जयपुर।
2. अति. आयुक्त, प्रथम/द्वितीय, ईजीएस, मुख्यालय जयपुर।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय, म.गा. नरेगा, समस्त राजस्थान।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जोधपुर को पत्रांक म.गां. नरेगा/तक./ 11-12/4378 दिनांक 16.08.2011 के क्रम में।
5. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, समस्त।
7. आरक्षी प्रति।

अति. आयुक्त (प्रथम), ईजी